आत्यावश्यक

स्मरण पत्र

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर

क्रमांकः प.10(क)(   )(न.पा.गठन) /स्वा.शा./22/ 5246-5295 दिनांक 13/12/2023

जिला कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी,
समस्त राजस्थान ।

विषय :– नवगठित नगरीय निकायों में जनसंख्या के आधार पर विभागीय अधिसूचना कंमांक 1523 दिनांक 10/06/19 के अनुरूप कुल वार्ड एवं अनु.सूचित जाति/अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछडा वर्ग /सामान्य वर्ग हेतु वार्डो की संख्या का निर्धारण बाबत ।

प्रसंग :– विभागीय पत्रांक 5061–5110 दिनांक 17/11/2023 ।

....

महोदय,

राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 6 एवं 9 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए जनगणना वर्ष 2011 की जनसंख्या के आधार पर आपके क्षेत्राधीन नवगठित नगरीय निकायों की अधिसूचना में अंकित सीमा क्षेत्र के आधार पर कुल वार्ड एवं वार्डो के वर्गवार वर्गीकरण, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछडा वर्ग व सामान्य वर्ग के निर्धारण किया जाने हेतु नवगठित नगरीय निकाय की सीमा क्षेत्रफल एवं जनसंख्या का वर्गीकरण निम्नांकित प्रपत्र में सूचना प्रासांगिक पत्र द्वारा चाही गई थी जो अभी तक अपेक्षित है । अतः वांछित सूचना शीध्र भिजवाने का श्रम करावें।

प्रपत्र

नाम नगर पालिका .... सीमा क्षेत्रफल वर्ग हैक्टर/वर्ग किमी ......
राजस्व ग्रांम पंचायत क्षेत्र में सम्मिलित गॉवों के नाम व उनकी जनगणना 2011 के आधार पर कुल एवं वर्गवार जनसंख्या विवरण :–

ग्रांम पंचायत में आने वाले राजस्व गॉव का नाम	कुल जनसंख्या (पुरूष / महिला)	अनुसूचित जाति जनसंख्या (पुरूष /महिला)	अनुसूचित जनजाति जनसंख्या (पुरूष /महिला)	सामान्य (पुरूष / महिला)

भवदीय

(हृदेश कुमार शर्मा)
निदेशक एवं विशिष्ठ सचिव

क्रमांकः प.10(क)(   )(न.पा.गठन) /स्वा.शा./22/ 5286-5385 दिनांक 19/12/2023

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

01. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
02. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
03. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
04. अध्यक्ष, राज्य वित आयोग, राज. जयपुर।
05. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राज. जयपुर।
06. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ठ सचिव, स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर।
07. सचिव/ आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज. विभाग जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्त नवगठित नगरपालिका में सम्मिलित किये गये ग्राम पंचायत क्षेत्र को पंचायत सीमा से पृथक किये जाने के संबंध में नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच/सचिव, को अधिसूचना की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
08. निदेशक, जनगणना विभाग, राज. जयपुर/निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, राज. जयपुर।
09. **संभागीय आयुक्त समस्त /जिला कलक्टर समस्त (राजस्थान) ।**
10. मुख्य नगर नियोजक, नगर नियोजन विभाग, राज. जयपुर।/पी.आर.ओ. निदेशालय ।
11. निदेशक/अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, राज. जयपुर को आगामी असाधारण अंक राज. राजपत्र में प्रकाशनार्थ एवं 20 प्रतियां उपलब्ध कराने हेतु।
12. वित्तीय सलाहकार /समस्त अधिकारीगण एवं अनुभाग, निदेशालय राज. जयपुर।
13. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान को प्रेषित कर निवेदन है कि आपके क्षेत्राधीन नवगठित नगरीय निकाय एवं कंमोन्नत नगरीय निकाय की सीमा क्षेत्र की उक्त प्रपत्र की सूचना संकलित कर एकजाई रिपोर्ट शीघ्र भिजवाने का श्रम करावे, ताकि नियमानुसार आगामी चुनाव हेतु तैयारी प्रारम्भ की जा सके ।
14. अधिशासी अधिकारी नवगठित नगर पालिका ....
15. नोडल अधिकारी, वेबसाईट, निदेशालय को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
16. सरपंच /उपसरपंच/सचिव,संबंधित सदस्य नवगठित नगरीय निकाय
17. सुरक्षित पत्रावली।

(संजय माथुर)
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी

D/shriamal ji/ Letter 2021